संख्या-37/**2026/502/12-5099/45/2022**

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक::** 10 **जून**, **202**6

विषय:- प्रदेश के बीहड़/बंजर/जलभराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का वर्ष 2026-2027 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/श०एवंवा०/पं०दी०उ०कि०स०यो०-कार्य०यो०/11/2026-27, दिनांक 13 अप्रैल, 2026 एवं पत्रांक-भू०सं०/श०एवंवा/ कि0स0यो0/45/2026-27, दिनांक 14 मई, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के बीहड़/बंजर/जलभराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का वर्ष 2026-2027 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

अध्याय-1
पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की पृष्ठभूमि

1-1 प्रस्तावना:-

- सतत् बढ़ती हुयी जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि आवश्यक है जबकि विगत कई वर्षों से प्रदेश की समस्याग्रस्त भूमि में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता लगभग स्थिर है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लगभग 40 से 50 हजार हेक्टयर कृषि उत्पादक भूमि शहरीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे एवं डिफेन्स कारिडोर तथा औद्योगीकरण जैसे गैर कृषि उपयोग में परिवर्तित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में खाद्यान्न आपूर्ति में और अधिक कठिनाई सम्भावित है। वर्णित परिस्थितियों में उत्पादन में वृद्धि के लिये अधिक से अधिक अकृष्य क्षेत्र बीहड़/बंजर को उपचारित कर कृषि अन्तर्गत आच्छादित किया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न समस्याओं से ग्रसित कम उपजाऊ भूमि को सुधार कर उसकी उत्पादकता में वृद्धि कर अपेक्षित कृषि उत्पादन प्राप्त किया जाना भी आवश्यक है।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि, वर्षा एवं जलवायु में काफी विविधता है। इन विविधताओं को ध्यान में रखे बिना भूमि का उपयोग किये जाने के कारण भूमि एवं जल संसाधनों की काफी क्षति हुयी है। फलस्वरूप कृषि हेतु उपयोगी भूमि में भी भू-क्षरण तथा जलभराव जैसी समस्यायें उत्पन्न हुयी है। इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता कम होने के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कृषकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों का नियोजित रूप से त्वरित विकास कर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।
- वर्तमान में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार प्रदेश में भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हे0 है, जिसमें से कृषि योग्य समस्याग्रस्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (लाख हे0)
1	खेती के लिये अयोग्य भूमि	4.42
2	कृष्य बेकार भूमि	3.88
3	परती भूमि	15.81
योग		**24.11**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अध्याय-2

पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम

2-1 सामान्य:-

ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या-40/2022/ 342/12-5/2022-सा0-12/2022 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक अनुमोदित है।

यह योजना मुख्य रूप से लघु तथा सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन मजदूरो के लिए है, परन्तु यदि परियोजना क्षेत्र में कुछ सामान्य श्रेणी के कृषकों के क्षेत्र आते हैं और उनमें सामुदायिक प्रकृति के कार्य यथा बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकास तथा जल निकासी नाले का निर्माण आदि प्रस्तावित हो रहा है तो ऐसे सामान्य कृषकों, जिनकी संख्या अत्यन्त सीमित होगी, को भी अपरिहार्य परिस्थिति में लाभार्थी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु प्रत्येक परियोजना में यह स्पष्ट किया जायेगा कि किन परिस्थितियों में परियोजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को सम्मिलित किया जा रहा है।

2.2 योजना का विवरण:-

- वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिये 'पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना' अनुमोदित है। वर्ष 2025-26 में धनराशि रू0 102.81 करोड़ की प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुरुप कार्ययोजना का क्रियान्वयन कराया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्नवत है:-

प्रस्तावित क्षेत्रफल - **43850** हेक्टेयर
(बीहड़/बंजर सुधार का कार्य **35600** हे0 में
एवं जल भराव क्षेत्रोपचार/ वृक्षारोपण/
कृषिवानिकी कार्य **8250** हे0 में)

योजना पर व्यय

- राज्य सेक्टर
  - अ- कार्यमद - रू0 **90.35** करोड़
  - ब- फसलोत्पादन - रू0 **12.46** करोड़
- मनरेगा - रू0 **10.25** करोड़
- योग - रू0 **113.06** करोड़

2.3 योजना के उद्देश्य:-

- योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों की अकृष्य/कम उपजाऊ भूमि को उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिये उन्हीं से सुधार कराना।
- परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध बीहड़ एवं बंजर (कृष्य एवं अकृष्य भूमि) तथा ग्रामसभा की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजस्व विभाग के सहयोग से आवंटित कराकर अथवा पहले से आवंटित भूमि को खेती योग्य बनाना।
- बीहड़ एवं बंजर भूमि को सुधार कर कृषि उत्पादन योग्य बनाना।
- फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी/वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्य कराना।
- जल भराव क्षेत्रों का उपचार कर फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- दैनिक मजदूरी के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के निवासियो को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना।

2.4 योजना का कार्यक्षेत्र:-

योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में (गौतमबृद्धनगर को छोड़कर) किया जाना है। बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ में केन्द्र सरकार की अटल भूजल योजना संचालित है, के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये। इन जनपदों में अटल भूजल के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में ही योजना का क्रियान्वयन किया जाये।

2.5 क्षेत्र/लाभार्थी चयन:-

परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होगें। परियोजना का चयन जलसमेट क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, जहॉ भू-आवॅटी, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं लघु सीमान्त कृषकों की अधिकता होगी। परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक प्रकृति के कार्य यथा बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकास हेतु जल निकासी नाले का निर्माण आदि में यदि सामान्य कृषकों के खेत आ रहे है तो अपरिहार्य परिस्थिति में लाभार्थी के रूप में उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होंगे। अत: उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सुविधाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम-2018, के उपनियम-3 तथा उपनियम-4 के अन्तर्गत योजना का आधार नोटिफिकेशन किया जायेगा। इसी प्रकार लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में ही धनराशि का हस्तांतरण किया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजना के क्रियान्वयन में डी0बी0टी0 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-543/1 2-3-2017-100(61)/12टीसी, दिनांक 26.05.2017 तथा शासनादेश संख्या-553/12-3-2019-100(61)/12टीसी, दिनांक 10.05.2019 का अनुपालन कराते हुए पंजीकरण तथा डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

2.6 योजना में कार्य:-

2.6.1 बीहड़/बंजर (कृष्य एवं अकृष्य भूमि) भूमि विकास:-

''बीहड़/बंजर भूमि के अन्तर्गत वो समस्त भूमि आएगी, जो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही है तथा इस भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह भूमि आवश्यक भूमि एवं जल संरक्षण के प्रबन्धन के अभाव अथवा अन्य मानव जनित कारको से लगातार क्षरित हो रही है तथा ऐसी भूमि को आवश्यक भूमि एवं जल प्रबन्धन के बाद पूर्ण क्षमता पर उत्पादन देने योग्य बनाया जा सकता है।''

रिज-टू-वैली सिद्धान्त को अपनाते हुये वाटरशेड के आधार पर परियोजना का चयन किया जायेगा, जिसमें बीहड़/बंजर (कृष्य एवं अकृष्य) भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने है:-

क- कृषि उत्पादन हेतु:-

- समोच्चरेखीय बांध, मार्जिनल/पेरीफेरल बांध, समतलीकरण, बेंच टेरेसिंग, जल संचयन बंधी, चेकडैम आदि। परियोजना में समतलीकरण का कार्य मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 20 प्रतिशत एवं बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के जनपदो में समतलीकरण अधिकतम 10 प्रतिशत तथा अन्य कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सम्पादित किये जायेंगे।
- परियोजना क्षेत्र एवं बांधो पर आवश्यकतानुसार कृषि वानिकी/औद्यानीकरण का कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
- फसलोत्पादन कार्यक्रम।

2.6.2 जलभराव क्षेत्रों का उपचार:-

- जल निकास नालियों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।
- जल भराव क्षेत्रों में जल निकास सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी।
- जल भराव क्षेत्रों का उपचार करके फसल उत्पादन एवं फसल सघनता में वृद्धि के साथ-साथ जल भराव के कारण खरीफ और रबी फसलों को नष्ट होने से बचाना।

2.6.3 कृषि वानिकी/वृक्षारोपण :-

- सुरक्षा खाई, स्ट्रैगर्ड ट्रैंच/गड्ढों की खुदाई एवं भूमि सुधार के अन्य उपचार।
- कृषि वानिकी/वृक्षारोपण हेतु पौधरोपण।

2.7 भौतिक लक्ष्य:-

योजनान्तर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्रों के उपचार हेतु वर्ष 2026-27 का भौतिक लक्ष्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	बीहड़/बंजर भूमि सुधार (कृषि उत्पादन हेतु)	35600
2	जलभराव क्षेत्रोपचार	8250
	योग	**43850**

उपरोक्त भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि का प्राविधान किया गया है। वास्तविक नियोजन के आधार पर यदि कार्यमद में धनराशि की बचत होती है तो उसके सापेक्ष अतिरिक्त क्षेत्र को चयनित करने का अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त कर कराया जा सकेगा।

- योजनान्तर्गत बीहड़/बंजर क्षेत्रोपचार के कार्य पर होने वाला व्यय शतप्रतिशत राज्य सहायतित है एवं कृषक अंश मात्र फसलोत्पादन कार्यक्रम में किया गया है, जिसका वहन लाभार्थी कृषकों द्वारा श्रम एवं सामग्री अंश के रूप में वहन किया जायेगा। बीहड़/बंजर कार्यक्रम के अन्तर्गत शतप्रतिशत उपचारित क्षेत्र पर फसलोत्पादन का कार्य सम्पादित किया जायेगा। गत वर्ष के उपचारित क्षेत्रफल में फसलोत्पादन कार्यक्रम इस वर्ष में कराये जायेंगे। फसलोत्पादन पर रू0 7000 प्रति हे0 की दर से व्यय किया जायेगा। जिसका 50 प्रतिशत योजनान्तर्गत अनुदान अंश के रूप में एवं शेष 50 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में कृषक द्वारा स्वयं श्रम एवं सामग्री अंश के रूप में वहन किया जायेगा।
- मनरेगा (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) से प्रस्तावित कार्य हेतु जनपद स्तर पर तैयार किये जाने वाले लेबर बजट में धनराशि का प्राविधान कराते हुये जनपद स्तर से कार्ययोजना स्वीकृत करायी जाये। मनरेगा से प्राप्त धनराशि से जो कार्य होंगे, उसमे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्राविधान के अनुसार ही मस्टररोल एवं भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.8 योजना का प्रशिक्षण:-

योजनान्तर्गत राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जनपद/भूमि संरक्षण इकाई स्तर एवं परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

अध्याय-3
परियोजना लागत तथा कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय विभाजन

3.1 परियोजना लागत - योजनान्तर्गत बीहड़/बंजर भूमि सुधार कार्य रू0 25000 प्रति हे0 की औसत दर से किया जाना है तथा जलभराव क्षेत्रोपचार/कृषि वानिकी/वृक्षारोपण का कार्य वर्तमान में मनरेगा अन्तर्गत निर्धारित कॉस्ट नॉर्म के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में लागत का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	राज्य सेक्टर			मनरेगा योजना से प्रस्तावित धनराशि			कुल वित्तीय लक्ष्य (राज्य सेक्टर एवं मनरेगा)
			परियोजना अंश	कृषक अंश	योग	परियोजना अंश	कृषक अंश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**बीहड़/बंजर भूमि सुधार:-**								
	(कृष्य एवं अकृष्य क्षेत्र का उपचार)								
	क-बीहड़/बंजर क्षेत्र का उपचार (राज्य सेक्टर से)	35600	89.00	0	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
	ख-फसलोत्पादन	-	12.46	12.46	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92
2	**जल भराव क्षेत्रोपचार एवं कृषि वानिकी/ वृक्षारोपण (मनरेगा)**	8250	0.00	0.00	**0.00**	10.25	0.00	10.25	10.25
	योग-कार्यमद	**43850**	**101.46**	**0.00**	**113.92**	**10.25**	**0.00**	**10.25**	**124.17**
3	**विविध व्यय:-**								
	प्रशासनिक व्यय:- (प्रशिक्षण,सर्वेक्षण एवं नियोजन, अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय)		**1.35**	**0.00**	**1.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.35**
	महायोग	**43850**	**102.81**	**12.46**	**115.27**	**10.25**	**0.00**	**10.25**	**125.52**

परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं नियोजन को प्रभावी बनाने के लिये मुख्यालय, मण्डलीय एवं जनपद/क्षेत्रीय कार्यालयों में सर्वे यंत्र, जी0पी0एस0/एम0आई0एस0, साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरणों, अन्य आवश्यक सामग्री एवं मैप आदि की व्यवस्था सहित विभिन्न प्रशासनिक व्यय तथा योजना के अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक मद एवं प्रशिक्षण में रू0 1.35 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत बीहड़/बंजर सुधार का कार्य एवं फसलोत्पादन पर अनुमन्य अनुदान राज्य सेक्टर से तथा जलभराव क्षेत्र के उपचार/कृषि वानिकी/वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा से किया जायेगा। योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।

3.2 रोजगार सृजन:-

योजना के संचालन से परियोजना क्षेत्र के चयनित लाभार्थी/कृषक मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान किया जायेगा। श्रमिको को भूमि संरक्षण योजनाओं में निर्धारित दैनिक आउटपुट के आधार पर शासन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। योजनान्तर्गत समस्त भूमि उपचार के कार्य श्रमिकों द्वारा ही कराये जायेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर मशीनरी का प्रयोग किया जा सकेगा।

3.3 योजनान्तर्गत कृषक अंश:-

चूँकि योजना के लाभार्थी भूमिहीन खेतिहर मजदूर, भू-आवंटी, लघु एवं सीमान्त कृषक है। अतः योजनान्तर्गत फसलोत्पादन कार्यक्रम में कृषक अंश की धनराशि कृषक द्वारा श्रम एवं सामग्री के रूप में वहन की जायेगी।

3.4 पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 के निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का माहवार मानक:-

क्र0 सं0	माह का नाम	माह में पूर्ति का मानक (प्रतिशत में)		क्रमिक पूर्ति का मानक (प्रतिशत में)	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अप्रैल से मई, 2026	सर्वेक्षण, नियोजन एवं परियोजना पत्रावली तैयार करना, जिला समिति से अनुमोदन एवं प्रशिक्षण आदि।			
2	जून, 2026	25	15	25	15
3	जुलाई, 2026	25	20	50	35
4	अगस्त, 2026	10	15	60	50
5	सितम्बर, 2026	10	15	70	65
6	अक्टूबर, 2026	15	15	85	80
7	नवम्बर, 2026	10	10	95	90
8	दिसम्बर, 2026	5	5	100	95
9	जनवरी, 2027	-	5	-	100

नोट- फसलोत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति खरीफ में सुनिश्चित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अध्याय-4
कार्य सम्पादन, अनुश्रवण एवं समीक्षा

4.1 योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व:-

पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है। परियोजना स्तर पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा यह कार्यक्रम जन-सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित कराया जायेगा तथा योजना के संचालन में ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत व जनप्रतिनिधियों का सुझाव एवं सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा। विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम का अनुश्रवण निम्नवत् किया जायेगा:-

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यक्रम के संचालन हेतु उत्तरदायी होगें। वे भूमि आंवटन के साथ-साथ योजना के विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे तथा कार्यक्रम की समीक्षा कर मासिक प्रगति प्रतिवेदन मण्डलायुक्त एवं कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण अनुभाग) कृषि भवन, लखनऊ को उपलब्ध करायेगें।
- मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उप कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण) उत्तरदायी होंगे तथा मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं मण्डलायुक्त के निर्देशन में कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उ०प्र० के मार्ग-निर्देशन में अपर कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण) द्वारा किया जायेगा, जो नियमित रूप से शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रदेश की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे। योजनान्तर्गत क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप जनपदवार लक्ष्यों में परिवर्तन कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा किया जा सकेगा।

4.2 परियोजना हेतु वित्तीय व्यवस्था:-

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यमदों यथा बीहड़/बंजर भूमि सुधार का कार्य राज्य सेक्टर से प्राप्त धनराशि से तथा जलभराव क्षेत्रोपचार का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) से प्राप्त धनराशि से कराया जायेगा। जलभराव क्षेत्रोपचार जैसे सामुदायिक कार्यो हेतु मनरेगा से प्राप्त धनराशि को श्रम एवं सामग्री के लिये निर्धारित 60:40 प्रतिशत के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक्ट-2005 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

4.3 कार्य की मात्रा एवं दरों का निर्धारण:- योजना में दो श्रोतों- राज्य सेक्टर एवं मनरेगा योजना से धनराशि प्राप्त होगी। अतः राज्य सेक्टर से प्राप्त धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यो में विभागीय दर तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) से निष्पादित कार्यों में शासन द्वारा समय समय पर दर अनुसूची(Schedule of Rates) लागू मानी जायेगी।

4.4 माप पुस्तिका में अंकन:-

मनरेगा के बजट से कराये गये कार्यो के अंकन हेतु विकासखण्ड कार्यालय से माप पुस्तिका प्राप्त कर उपचारित कार्यो के विवरण को अंकित किया जायेगा। राज्य सेक्टर से प्राप्त धनराशि से निष्पादित समस्त कार्यो को पूर्व की भांति विभागीय दिशा-निर्देशो के अनुसार निर्धारित माप पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

4.5 कार्यो का निष्पादन, मापन, सत्यापन एवं भुगतान:-

योजनान्तर्गत कार्यो के निष्पादन, मापन, सत्यापन एवं भुगतान को पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी :-

- मापित कार्य का शत-प्रतिशत सत्यापन विभागीय दिशा-निर्देश/शासनादेश के अनुसार कृषि विभाग के संबन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य निष्पादन में लगे श्रमिकों/जॉब कार्ड धारक मजदूरों को सामयिक भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम-1963 के अनुसार समस्त अभिलेखों को पूर्ण कराकर ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
- मनरेगा अंश की धनराशि का उपयोग करते समय मानव श्रम करने हेतु जॉब कार्ड धारक व्यक्तियों से ही कार्य कराया जायेगा। योजनान्तर्गत ठेकेदारी पूर्णरूप से प्रतिबन्धित है।
- मनरेगा अंश हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशिका तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

4.6 मनरेगा अंश की धनराशि से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव:-

मनरेगा से प्राप्त धनराशि से जो कार्य होंगे, उसमे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्राविधान के अनुसार ही मस्टररोल एवं भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक श्रमिक चिट्ठे एवं माप पुस्तिका संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से संबंधित भूमि संरक्षण इकाई के वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी द्वारा प्राप्त किया जायेगा। श्रमिक चिट्ठों में दैनिक श्रमिकों का अंकन परियोजना प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

भुगतान के पश्चात् श्रमिकों का चिट्ठा, माप पुस्तिका एवं सामग्री अंश के अभिलेख संबंधित भूमि संरक्षण इकाई के वरिष्ठ प्राविधिक सहायक(ग्रुप-बी) द्वारा विकासखण्ड कार्यालय में वापस जमा कराते हुए उसकी छायाप्रति भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में भी सुरक्षित रखी जायेगी।

4.7 कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं समीक्षा:-

योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त समितियों द्वारा योजना की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा। जनपदीय एवं मण्डलीय समिति माह में एक बार नियमित समीक्षा करेगी, जिसका कार्यवृत्त कृषि निदेशक, उ०प्र० एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० को नियमित रूप से प्रेषित किया जायेगा। राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा प्रत्येक तीन माह में योजना के भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक आहूत करने का दायित्व कृषि निदेशक/सदस्य सचिव का होगा।

विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा कार्यक्रम की प्रगति का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जायेगा ताकि कार्यक्रम अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सके तथा स्थानीय निवासियो को अपेक्षित रोजगार मिल सके। मण्डल एवं जनपद स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन अनिवार्य रूप से होगा। आयुक्त/जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार मासिक बैठकों के अतिरिक्त समीक्षा बैठक बुलाने हेतु अधिकृत होंगे। कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है :-

- **राज्य स्तर:**
  - कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष
  - प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, वन - सदस्य
  - प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन - सदस्य
  - कृषि निदेशक, उ0प्र0 - सदस्य/सचिव
- **मण्डल स्तर:**
  - आयुक्त - अध्यक्ष
  - संयुक्त/उप विकास आयुक्त - सदस्य
  - अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई - सदस्य
  - वन संरक्षक - सदस्य
  - संयुक्त कृषि निदेशक - सदस्य/सचिव
  - उप निदेशक (उद्यान) - सदस्य
  - अधिषासी अभियन्ता,(लघु सिंचाई) - सदस्य
  - उप कृषि निदेशक, (भूमि संरक्षण) - सदस्य
- **जिला स्तर:**
  - जिलाधिकारी - अध्यक्ष
  - मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य
  - अधिषासी अभियन्ता,(सिंचाई) - सदस्य
  - प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य
  - उप कृषि निदेशक - सदस्य/सचिव
  - जिला उद्यान अधिकारी - सदस्य
  - सहायक अभियन्ता, (लघु सिंचाई) - सदस्य
  - जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक - सदस्य
  - भूमि संरक्षण अधिकारी - सदस्य

4.8 कार्य की द्विरावृत्ति से बचाव:-

- पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजनाओं के चयन के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनान्तर्गत जनपदों/क्षेत्रों में कराये जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति न हो। यह शत्-प्रतिशत् सुनिश्चित किया जाए कि जिस राजस्व ग्राम में किसी भी योजनान्तर्गत कार्य कराया जा चुका है, उन राजस्व ग्राम को पुनः चयनित न किया जाए। जिला स्तरीय समिति द्वारा भी कार्यों की गुणवत्ता एवं चयनित क्षेत्र की परियोजना की पुनरावृत्ति न हो कि प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाए।
- योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का समकालिक (Conurrent) मूल्यांकन प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए तथा कार्य के उपरान्त क्षेत्र की उत्पादन, उत्पादकता एवं आच्छादन में आये सकारात्मक बदलाव का आंकलन किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वार्षिक योजना पूर्ण होने के उपरान्त पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का मूल्यांकन राज्य नियोजन संस्थान के मूल्यांकन प्रभाग, कालाकांकर भवन, न्यू हैदराबाद, लखनऊ से कराया जायेगा।

- जनपदों में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

4.9 प्रतिवेदनों का प्रेषण:-

- परियोजना स्तर पर कार्यक्रम का अनुश्रवण भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संकलित रिपोर्ट संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी उप कृषि निदेशक होंगे, जो जनपद स्तर पर योजना की संकलित प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी प्रति उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण एवं अपर कृषि निदेशक(भू0सं0) उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे।
- मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारी मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक होंगे, जो कार्यक्रम की सफलता के लिये उत्तरदायी होंगे। उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण मण्डल की संकलित सूचना मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करते हुये एक प्रति अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण को उपलब्ध करायेंगे।
- राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, उ0प्र0 सूचनाओं को संकलित कराकर शासन को प्रेषित करेंगे।
- उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार राजस्व मण्डलों में योजना के प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण एवं मण्डलायुक्त की समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत किये जाते है :-

क्र0सं0	राजस्व मण्डल का नाम	योजना की प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण एवं बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत उप कृषि निदेशक (भू0सं0)
1	सहारनपुर	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), मेरठ
2	मेरठ	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), मेरठ
3	आगरा	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), आगरा
4	अलीगढ़	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), अलीगढ़
5	कानपुर	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), कानपुर
6	बरेली	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), बरेली
7	मुरादाबाद	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), बरेली
8	लखनऊ	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), लखनऊ
9	अयोध्या	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), अयोध्या
10	देवीपाटन	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), अयोध्या
11	प्रयागराज	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), प्रयागराज
12	वाराणसी	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), वाराणसी
13	गोरखपुर	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), गोरखपुर
14	बस्ती	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), गोरखपुर
15	आजमगढ़	उप कृषि निदेशक (भू0सं0), आजमगढ़
16	विन्ध्याँचल	उप कृषिनिदेशक(भू0सं0), वाराणसी
17	झाँसी	उप कृषि निदेशक(भू0सं0), झाँसी (माताटीला)
18	चित्रकूट धाम, बाँदा	उप कृषि निदेशक(भू0सं0), बाँदा

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित उप कृषि निदेशक(भू0सं0) राजस्व मण्डलों में योजना के प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण एवं मण्डलायुक्त की समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु नामित उप कृषि निदेशक(भू0सं0) को योजना की जनपद/भूमि संरक्षण इकाईवार प्रगति एवं अन्य विवरण आवश्यकतानुसार समय पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2- प्रदेश के बीहड़/बंजर/जलभराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत अगामी कार्ययोजना में सुधार की गई भूमि एवं फसलोत्पादन के वास्तविक आंकड़ों को ग्राम पंचायत, विकासखण्ड व जनपदवार प्राप्त करने हेतु डिजी क्रॉप सर्वे/एग्रीस्टैक योजना का सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रदेश के बीहड़/बंजर/जलभराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से अच्छादित किसानो के अनुकूल एक क्षेत्रीय कार्ययोजना बनायी जाए, जिसमे बीहड़/बंजर भूमि में आद्योनिकी के तहत आंवला, बेर, अमरूद, करौंदा व अनाजवाली फसलों में धान, बाजरा, ज्वार, मक्का तथा दलहन में अरहर, मूंग, चना व तिलहन में सरसों के साथ जलभराव क्षेत्रों में सिंघाड़ा (**Water Chestnut**), मखाना, मूंगा एवं मछलीपालन को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे मृदा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण के साथ रोजगार एवं आजीविका को बेहतर किया जा सकता है।

4- प्रदेश के बीहड़/बंजर/जलभराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राविधानित धनराशि की सीमान्तर्गत निर्धारित किया जायेगा, जिससे लक्ष्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जा सके एवं उनकी देयता आगामी वर्षों के लिए अवशेष न रहे।

कृपया उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वन/ग्राम्य विकास/लघु सिंचाई/राजस्व/उद्यान/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एच ऊर्जा मंत्रालय (एम० एन० आर० ई०), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12. अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/जनपदीय उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।